

# लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश

गौतमनगर भोपाल-462021

दूरभाष : 91-755-2583650, फेक्स: 2583651, ई-मेल [dpimp@sancharnet.in](mailto:dpimp@sancharnet.in)

क्रमांक / लोशिस / भवन / शै.अभ्यु / 2 / 2010 / 110 भोपाल दिनांक 6 दिसम्बर, 2010  
प्रति,

1. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण  
इंदौर संभाग, इंदौर म.प्र.
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
इंदौर संभाग
3. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास  
जिला-धार, झाबुआ, अलीराजपुर,  
खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर
4. समस्त जिला शैक्षिक समन्वयक  
जिला-इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर,  
खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर
5. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी  
इंदौर संभाग (इंदौर, धार, झाबुआ,  
अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा,  
बुरहानपुर इत्यादि जिलों के समस्त  
विकासखण्डों के)

विषय:- संभागवार अकादमिक मैदानी भ्रमण, स्कूलवार समीक्षा एवं प्रशिक्षण।

—00—

शैक्षिक अभ्युत्थान अंतर्गत अकादमिक उन्नयन के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषय के फाउंडेशन माड्यूल उपलब्ध कराये जाकर उनके अध्ययन अध्यापन का कार्य अपेक्षित था। इसी प्रकार शैक्षणिक कैलेंडर अनुसार इकाईयों के अध्यापन, त्रैमासिक परीक्षा मूल्यांकन के आधार पर डी एवं ई ग्रेड के छात्रों का सूचीकरण एवं उनके लिए निर्धारित कालखण्डों के अतिरिक्त कालखण्डों में निदानात्मक कक्षाओं का आयोजन किया जाना था।

2. उपरोक्त प्रयासों के बावजूद यह देखने में आया है कि आवश्यक मानीटरिंग के अभाव में कोई प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। इसलिये सघन मानीटरिंग के उद्देश्य से चक्रानुक्रम में संभागवार अकादमिक मैदानी भ्रमण एवं स्कूलवार समीक्षा का कार्यक्रम तैयार किया गया है।

3. इसके अन्तर्गत एक संभाग के समस्त जिलों के जिला शैक्षिक समन्वयक एवं समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी संभाग के किसी भी जिला मुख्यालय पर तीन दिवसीय बैठक के लिये उपस्थित होंगे। इस बैठक का फार्मेट निम्नवत होगा:-

3.1 समस्त प्रतिभागियों को बैठक स्थल पर प्रातः 8.30 बजे उपस्थित होना होगा। समस्त जिला शैक्षिक समन्वयकों एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुपस्थित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। अत्याधिक विषम परिस्थिति में ही संभागीय संयुक्त संचालक की पूर्व अनुमति उपरांत ही एवजीदार की उपस्थिति मान्य की जा सकेगी। प्रत्येक जिला शैक्षिक समन्वयक से यह अपेक्षा है कि वह अपने जिले के समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को एक बोलरो/जीप वाहन में लेकर बैठक स्थल पर पहुंचेंगे। ताकि न केवल सभी की उपस्थिति सुनिश्चित हो बल्कि मैदानी भ्रमण में भी उसी वाहन का उपयोग हो सके।

3.2 प्रातः 9.00 से 9.30 बजे के मध्य समस्त प्रतिभागियों को मैदानी भ्रमण हेतु राज्य अकादमिक समन्वयक द्वारा आवश्यक निर्देश, प्रारूप एवं टिप्स प्रदान किये जायेंगे। तत्पश्चात् बैठक मुख्यालय के जिले के स्कूलों के अनुपात में दो अथवा एक अधिकारी की टीम बनाकर उन्हें किसी भी विकासखण्ड के अधिकतम तीन स्कूलों के अकादमिक निरीक्षण का दायित्व सौंपा जायेगा। निरीक्षण हेतु स्कूलों के चयन में अधिक नामांकन वाले स्कूलों को प्राथमिकता दी जायेगी।

3.3 उपरोक्त निरीक्षण टीम में संबंधित जिला जिनके स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है को शामिल नहीं किया जायेगा। संबंधित जिले के जिला शैक्षिक समन्वयक एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी निरीक्षण टीम को केवल संबंधित स्कूलों तक पहुंचाने (परिवहन एवं भोजन व्यवस्था) में मदद करेंगे। परन्तु किसी भी दशा में निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन को प्रभावित करने का प्रयास भी नहीं करेंगे। निरीक्षणकर्ता अधिकारी निरीक्षण से लौटने के उपरांत रात्रि विश्राम के पूर्व स्कूल वार निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करना होगा। निरीक्षण प्रतिवेदन में संबंधित स्कूल द्वारा अकादमिक उन्नयन हेतु यदि कोई उत्कृष्ट/उल्लेखनीय प्रयास किया गया हो तो उसका रिमार्क में अवश्य उल्लेख किया जाय।

3.4 निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के रात्रिविश्राम एवं भोजन की व्यवस्था का दायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा।

3.4 द्वितीय दिवस यही प्रक्रिया संभाग के समीपस्थ दूसरे जिले में दोहराई जायेगी।

3.4 तृतीय दिवस प्रातः 8.00 बजे से प्रथम जिले के समस्त शासकीय हाई/एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक प्रारंभ होगी। बैठक पूर्वांश में निरीक्षण कर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर संबंधित स्कूल के अकादमिक उन्नयन की समीक्षा की जावेगी। उत्तरांश में गणित अंग्रेजी, विज्ञान एवं अन्य विषयों के बेहतर अध्यापन स्कूल स्तर पर बेहतर अकादमिक मानीटरिंग गुर विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किये जायेंगे।


3.5 तृतीय दिवस 3.00 बजे से द्वितीय जिले के समस्त शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक होगी जिसमें यही प्रक्रिया दोहराई जायेगी।

4. प्रथम चरण में ग्वालियर संभाग के ग्वालियर एवं भिण्ड जिले का भ्रमण किया जा चुका है। द्वितीय चरण में इंदौर संभाग के खंडवा एवं बुरहानपुर जिले को लिया गया है जिसमें निम्नानुसार जिला शैक्षिक समन्वयकों, विकास शिक्षा अधिकारियों एवं प्राचार्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

स.क्र.	विवरण	दिनांक समय एवं स्थान
4.1	जिला शैक्षिक समन्वयक एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	प्रथम दिवस 10 दिसम्बर, 2010 को जिला शिक्षा अधिकारी खंडवा द्वारा निर्धारित स्थान बैठक स्थल शा. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उ.मा. वि. खण्डवा में प्रातः 8.30 बजे रिपोर्ट करेंगे और खंडवा जिले की बैठक में प्रतिभागिता एवं निर्धारित विकास खण्डों के स्कूलों की फील्ड मानीटरिंग का कार्य करेंगे। (दिनांक 9.12.2010 को सायंकाल पहुँचने वाले प्रतिभागियों की आवास व्यवस्था रेलवे स्टेशन के सामने स्थित पार्वती बाई धर्मशाला में की गयी है।) द्वितीय दिवस 11 दिसम्बर, 2010 तक जिला शिक्षा अधिकारी बुरहानपुर द्वारा निर्धारित स्थान पर प्रातः 8.30 बजे रिपोर्ट करेंगे और बुरहानपुर जिले की बैठक में प्रतिभागिता एवं निर्धारित विकास खण्डों के स्कूलों की फील्ड मानीटरिंग का कार्य करेंगे।
4.2	बुरहानपुर जिले के समस्त शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के समस्त प्राचार्य	तृतीय दिवस 12. दिसम्बर, 2010 (रविवार) जिला शिक्षा अधिकारी बुरहानपुर द्वारा निर्धारित स्थान पर प्रातः 8.00 बजे आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।
4.3	खंडवा जिले के समस्त शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के समस्त प्राचार्य	तृतीय दिवस 12. दिसम्बर 2010 (रविवार) दोपहर: 3.00 बजे जिला शिक्षा अधिकारी बुरहानपुर द्वारा निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।

उपरोक्त समीक्षा बैठक पर होने वाला व्यय शैक्षिक अभ्युत्थान मद के प्रशिक्षण मद से विकलनीय होगा।

5. सर्व संबंधितों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास का होगा।



(प्रमात आर. तिवारी)

राज्य अकादमिक समन्वयक


लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

भोपाल दिनांक 6 दिसम्बर, 2010

पृ.क्रमांक/लोशिस/भवन/शै.अभ्यु/2/2010/111

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. आयुक्त आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. स्टाफ आफिसर लोक शिक्षण संचालनालय की ओर आयुक्त महोदय को कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु।
5. श्री जे.के.प्रभाकर उपआयुक्त आदिवासी विकास संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।

  
राज्य अकादमिक समन्वयक  
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश